न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 58/2022 (उदयपुर डिक्री)

किशनलाल पिता वरदीचन्द जी लौहार, निवासी खरताणा, तहसील मावली, हाल शान्ति कॉलोनी, हॉस्पिटल के पास, कांकरोली, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

सुरेशचन्द्र पित लक्ष्मण जी कुमावत, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

.... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मावली
दिनांक 21–12–2021 प्र0 सं0 239/15

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय दिनांक 19–10–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खरताणा में आराजी नंबर 1560 रकबा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें 1200/13068 वां हिस्सा वादी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। पूर्व में उक्त आराजी मोहनलाल पिता रामा तेली के नाम दर्ज थी जो मोहनलाल के फोत होने पर विरासत से जगदीश, मन्जू, प्रेमबाई व झमकुबाई के नाम दर्ज हो गयी, जिसमें 1200/13068 वां हिस्सा जगदीश ने गोपाललाल पिता किशनलाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10–03–2014 से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। तत्पश्चात् गोपाललाल ने दिनांक 11–03–2015 को उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से वादी निरन्तर काबिज चला आ रहा है एवं चारों ओर बाउण्ड्रीवाल कर रखी है, जिसके पड़ोस वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार हैं। उक्त आराजी में प्रतिवादी का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन कब्जे करने पर [illegible] है। अतः प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:08 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 21–12–2021 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02–08–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी सहमति व राजीनामे के प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। वादी ने 1200/13068 वें हिस्से के संबंध में निषेधाज्ञा चाही थी, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नंबर 1560 रकबा 15 बिस्वा के सम्पूर्ण रकबे के संबंध में निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जो त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा उसे बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत 2066 से [illegible] में विवादित आराजी नंबर 1560

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:08 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 15 बिस्वा मोहनलाल पिता रामा तेली के खातेदारी में दर्ज होकर विरासत से उसके वारिसान जगदीश, मन्जू, प्रेमबाई व झमकुबाई के नाम दर्ज हुई है, जिसमें मोहनलाल के पुत्र जगदीश का 1200/13068 हिस्सा होकर उसके द्वारा अपना उक्त हिस्सा गोपाललाल पिता किशनलाल के पक्ष में दिनांक 10–03–2014 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय किया गया है। तत्पश्चात् गोपाललाल द्वारा वादी/रेस्पोन्डेन्ट सुरेशचन्द्र के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 11–03–2015 को किया गया है, जिसका नामान्तकरण संख्या 1172 दिनांक 06–05–2015 को वादी के पक्ष में स्वीकृत हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में जो स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–12–2021 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:08 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

किशनलाल पिता वरदीचन्द जी लौहार, निवासी खरताणा हाल शॉन्ति कॉलोनी, हॉस्पिटल के पास, कांकरोली, राजसमन्द

बनाम

सुरेशचन्द्र पिता लक्ष्मण जी कुमावत, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

अपील नं.....**58 / 2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक).** .....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**21**.....माह.....**12**.....**2021**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीष शर्मा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पन्नालाल मारू**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–12–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:08 IST
Reason: SelfAttested